रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 690

No. 243] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940 [N.C.T.D. No. 690

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा

अधिसूचना

दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018

2018 का विधेयक संख्या 7

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक 2018

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1994 के आकस्मिक निधि में संशोधन करने के लिए विधेयक

सं. 21 (43)/आक. निधि/2018/वि.स.स. VI/वि./4189.–भारत गणराज्य के उनहत्तरवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एव प्रारंभ–

(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आकस्मिक निधि संशोधन अधिनियम 2018 कहा जाएगा।

(2) यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

2. अनुभाग 2 में संशोधन–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आकस्मिक निधि अधिनियम 1994 (दिल्ली अधिनियम संख्या 13, 1994) के अनुभाग 2 में ''दस करोड़ रुपये की राशि'' शब्द के स्थान पर ''सौ करोड़ रुपये की राशि'' प्रतिस्थापित कर दी जाए।

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के दिल्ली अधिनियम 1991 (संख्या 1, 1992) की धारा 47 की उपधारा (1) के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली अधिनियम 1994 (दिल्ली अधिनियम संख्या 13, 1994) के आकस्मिक निधि के अनुभाग 2 के अंतर्गत आकस्मिक निधि कोश को रुपये दस करोड़ से बढ़ाकर रुपये सौ करोड़ करने के लिए संशोधन प्रदान करता है। कोश में हुई इस वृद्धि का राजकोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नही पड़ेगा।

उद्देश्य और कारणों का विवरण

यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के दिल्ली अधिनियम 1991 (संख्या 1, 1992) की धारा 47 की उपधारा (1) के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली अधिनियम 1994 (दिल्ली अधिनियम संख्या 13, 1994) के आकस्मिक निधि के अनुभाग 2 के अंतर्गत आकस्मिक निधि कोश को रुपये दस करोड़ से बढ़ाकर रुपये सौ करोड़ करने के लिए संशोधन प्रदान करता है क्योंकि वर्तमान कोश आकस्मिक स्थिति में निधि की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिनिहित विधायन हेतु ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2018, आकस्मिक निधि विधेयक में कोई अतिरिक्त नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने का प्रयास नहीं करता है।

सुनील दत्त शर्मा, उप सचिव

DELHI LEGISTATIVE ASSEMBLY

NOTIFICATION

Delhi, the 21th December, 2018

Bill No. 7 of 2018

THE CONTINGENCY FUND OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL 2018

A Bill to amend the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi Act, 1994.

No. 21 (43)/Conti. F/2018/LAS. VI/Leg./4189.—Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Ninth year of the Republic of India as follows**:-**

1. Short title and commencement. – (1) This Act may be called the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 2. – In the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi Act, 1994, (Delhi Act No.13 of 1994), in section 2, for the words “a sum of rupees ten crores”, the words “a sum of rupees one hundred crore” shall be substituted.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill provide for Amendment of section 2 of Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi Act, 1994 (Delhi Act No. 13 of 1994), in pursuance of sub-section (1) of section 47 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (No. 1 of 1992) enhancing the corpus of the fund from rupees ten crore to rupees one hundred crore. The enhancement of corpus would not entail any additional burden on exchequer.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Bill provides for amendment of section 2 of the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi Act, 1994 (Delhi Act No.13 of 1994), in pursuance of sub-section (1) of section 47 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (No.1 of 1992) enhancing the corpus of the Fund from rupees ten crore to rupees one hundred crore, as the existing corpus is not sufficient to meet out the demands of fund in emergent cases.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2018 does not seek to confer any additional rule making power in the bill.

SUNIL DUTT SHARMA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.08 15:42:25 +05'30'